



# कार्यालय : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोटा

Contact/Fax: 0744-2940015 E-mail: dlsa26kota@gmail.com

दिनांक : 06.05.2021


## :- वाहन आमंत्रण सूचना :-

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के पत्र क्रमांक एफ-7(197/1)/ रालसा/ संस्था-किराया वाहन/2021/7869-7899 दिनांक 26.04.2021 एवं वित्त विभाग (जी.एण्ड. टी/एसपीएफसी) विभाग के परिपत्र दिनांक 19.07.2018 एवं 31.03.2021 के पूर्ण प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करते हुए नियमानुसार 2000 कि.मी. (अधिकतम) प्रति माह रनिंग के लिये रुपये 31350/- (अधिकतम) प्रति माह के मासिक किराये के आधार पर इस कार्यालय (सम्पूर्ण कोटा जिला क्षेत्राधिकार) के लिये दिनांक 31.03.2022 तक की अवधि के लिये महिन्द्रा बोलेरो वाहन उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं।

उक्त वाहन (महिन्द्र बोलेरो) पूर्णतया अनुबंध के आधार पर लिया जाना है। संबंधित व्यक्ति/फर्म/सेवा प्रदाता अपना प्रस्ताव वांछित दस्तावेज संलग्न कर इस कार्यालय में कार्य दिवस में कार्यालय समय में प्रातः 9 से दोपहर 1 बजे तक प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त वाहन के संबंध अन्य शर्तें इस विज्ञापित के साथ संलग्न है एवं कार्यालय समय में कार्यालय से भी प्राप्त कर सकते हैं।

अतः इस सूचना के जरिये सूचित किया जाता है कि वाहन (महिन्द्र बोलेरो) उपलब्ध कराने वाले इच्छुक व्यक्ति/फर्म/सेवा प्रदाता दिनांक 10.05.2021 तक इस कार्यालय में अपना प्रस्ताव संलग्न प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके पश्चात् प्राप्त प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा।

संलग्न:- 1 वाहन उपलब्ध कराने हेतु शर्तें ।  
2 प्रस्ताव पत्र ।

  
सचिव 6-5-2021


जिला विधिक सेवा प्राधिकरण  
कोटा

क्रमांक : 1665-1669

दिनांक : 06.05.2021

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ

1. नोटिस बोर्ड, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोटा/न्यायालय परिसर, कोटा/जिला कलेक्ट्रेट, कोटा/सूचना केन्द्र, कोटा
2. कोषाधिकारी कोष कार्यालय, कोटा
3. सिस्टम ऑफिसर, जिला एवं सेशन न्यायालय, कोटा वास्ते अपलोड किये जाने हेतु।

  
सचिव 6-5-2021

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण  
कोटा

"Help The Needy - Timely Help May Create History"



# कार्यालय : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोटा

Contact/Fax: 0744-2940015 E-mail: dlsa26kota@gmail.com

दिनांक : 06.05.2021

## कार्यालय में महिन्द्रा बोलेरो वाहन उपलब्ध कराने हेतु शर्तें

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोटा के लिये एक चार पहिया वाहन (महिन्द्रा बोलेरो) को मासिक आधार पर किराये पर लेने के लिए राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक No.F.2(4)FD/SPFC/2017 Jaipur dated 19/07/2018 एवं No.F.2(4)FD/SPFC/2017 Jaipur dated 31/03/2021 में दिये गये निर्देशानुसार निम्न शर्तों के तहत उपलब्ध कराएगा :-

1. यह कि उक्त वाहन दिनांक कार्य आदेश की दिनांक से 31.03.2022 तक की अवधि के लिये मासिक आधार पर किराये पर उपलब्ध कराया जाएगा। कार्य संतोषप्रद नहीं होने पर उक्त वाहन को अवधि से पूर्व भी 7 दिवस का नोटिस देकर हटाया जा सकेगा।
2. महिन्द्रा बोलेरो वाहन किराये पर लेने के लिये अधिकतम 2000 कि.मी. प्रतिमाह रनिंग के लिए अधिकतम मासिक भुगतान 31350/- किया जायेगा। रुपये 31350/- के अतिरिक्त सेवा कर (यदि लागू हो तो) अतिरिक्त जमा किया जायेगा।
3. यदि किसी माह में वाहन अधिकतम 2000 कि.मी. नहीं चल पाया है तो भुगतान निम्नानुसार किया जायेगा :-
  - अ. प्रथम 1500 कि.मी. तक और 1500 कि.मी. से कम होने पर भी भुगतान रुपये 26400/- किया जायेगा।
  - ब. एवं 1500 कि.मी. के अतिरिक्त रुपये 10/- प्रति कि.मी. का भुगतान किया जायेगा।
4. वाहन कोटा जिले के बाहर राजस्थान राज्य में अन्य किसी दूसरे जिले में वाहन ले जाने पर ड्राइवर को 300/- रुपये प्रति रात्रि पडाव भुगतान किया जायेगा। वाहन को जयपुर स्थित मुख्यालय पर ले जाया जाने पर किसी भी तरह का रात्रि पडाव भुगतान नहीं किया जायेगा।
5. टोल टेक्स का भुगतान सर्वप्रथम ड्राइवर द्वारा किया जायेगा एवं माह के अंत में सभी टोल टेक्स की रसीदे कार्यालय में प्रस्तुत करने पर वाहन मालिक को पुनर्भुगतान कर दिया जायेगा।
6. वाहन मालिक को मासिक भुगतान नियमानुसार ऑनलाईन या बैंक के माध्यम से किया जाएगा।
7. यह कि यह वाहन वातानूकूलित होगा और यदि किसी समय वातानूकूलन में खराबी पाई जाती है तो वाहन मालिक वातानूकूलन खराबी को अविलम्ब सही करवाएगा।
8. यह कि वाहन मालिक वाहन के सीटों का कवर सफेद रखेगा। जब सीट कवर गंदे हो जाए तो उनकी धुलवाई वाहन मालिक पक्षकार द्वारा करवाई जाएगी।

**"Help The Needy - Timely Help May Create History"**



## कार्यालय : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोटा

Contact/Fax: 0744-2940015 E-mail: dlsa26kota@gmail.com

9. वाहन मालिक वाहन के अन्दर सदैव प्राथमिक चिकित्सा किट रखेगा।
10. यह कि वाहन के अन्दर सदैव वाहन के आवश्यक उपकरण जैसे जैक, जैक पाना होगा तथा एक अतिरिक्त स्टेपनी उपलब्ध रहेगी।
11. यह कि वाहन मालिक वाहन को सदैव मेन्टेन अवस्था में रखेगा वाहन को मरम्मत के लिए भेजा जाने पर वाहन मालिक कार्यालय को अविलम्ब दूसरा वाहन जो कि टेक्सी के अन्तर्गत रजिस्टर्ड होना चाहिये उपलब्ध कराया जाएगा तथा वाहन रास्ते में खराब होने पर वाहन मालिक वाहन में यात्रा कर रहे अधिकारी, स्टाफ को नियत स्थान पर पहुँचाने के लिये दूसरे वाहन का अविलम्ब बंदोबस्त करेगा। ऐसा दूसरा वाहन इसी प्रकार या बेहतर कन्डीशन में होगा।
12. वाहन मालिक द्वारा भेजा गया वाहन चालक धूम्रपान व मद्यव्यसनी नहीं होगा। यदि किसी भी समय वाहन चालक वाहन चलाने के दौरान मद्यव्यसनी में पाया जाता है तो इस कार्यालय द्वारा उचित कार्यवाही की जायेगी। वाहन मालिक यह दायित्व स्वीकार करेगा है कि वाहन चालक अपना व्यवहार मर्यादित तथा न्यायपालिका की गरिमा के अनुरूप रखेगा तथा समस्त यातायात संबंधी नियमों का पालन करेगा। परिचालन के दौरान वाहन चालक सदैव स्वच्छ ड्रेस में रहेगा।
13. यह कि वाहन पूर्णतया बीमित होगा। बीमा व्यय वाहन मालिक द्वारा वहन किया जाएगा। यह कि वाहन संबंधित सारे अन्य कर वाहन मालिक द्वारा वहन किये जाएंगे।
14. यह कि वाहन चालक के पास वैध लाइसेंस होगा तथा वह वाहन सेवाओं के दौरान सदैव लाइसेंस धारण करेगा।
15. वाहन किराया अनुबंधित फर्म/व्यक्ति द्वारा अनुबंधित वाहन/वाहन चालक की किन्हीं कारणों से अनुपलब्धता की स्थिति में अन्य वाहन/वाहन चालक की व्यवस्था अनुबंधित फर्म/व्यक्ति द्वारा की जायेगी अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अन्य वाहन के उपयोग में लिये जाने पर उस पर होने वाले व्यय का पुनर्भरण संबंधित अनुबंधित फर्म/व्यक्ति द्वारा किया जायेगा।
16. वाहन प्रतिदिन कार्यालय समय पर व कार्यालय समय के अतिरिक्त भी आदेशानुसार उपलब्ध करवाना होगा।
17. वाहन 6 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।
18. वाहन की फाइनेन्स की बकाया राशि के भुगतान का दायित्व वाहन स्वामी/चालक का रहेगा। अनुबन्ध की अवधि के बीच में ऋण की किस्त चुकता न करने पर फाइनेन्स कम्पनी द्वारा वाहन को जप्त करने एवं अन्य कोई संचालन में बाधा कारित करने पर संविदा तुरन्त प्रभाव से निरस्त करने के दायित्वहीन होगी। वाहन उपलब्ध नहीं करवाने की स्थिति में प्रतिदिवस शास्ति 1000/- आरोपित


**"Help The Needy - Timely Help May Create History"**



## कार्यालय : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोटा

Contact/Fax: 0744-2940015 E-mail: dlsa26kota@gmail.com

- की जावेगी तथा विभाग किराये से अन्य वाहन लेने की स्थिति में यदि अतिरिक्त भुगतान किया जाता है तो वसूली अनुमादित ठेकेदार से की जा सकेगी।
19. वाहन चालक का भारी वाहन चलाने का लाईसेंस नियमानुसार बना हुआ होना चाहिए।
  20. किसी भी प्रकार के विवाद के लिए न्याय क्षेत्र कोटा रहेगा।
  21. वाहन टैक्सी परमिट वाला होना आवश्यक है।
  22. वाहन का माइलोमीटर चालू स्थिति में रहेगा तथा वाहन संचालन की रोजाना लॉग बुक संधारित कि जावेगी। भुगतान लॉग बुक के इन्द्राज अनुसार ही किया जावेगा।
  23. डीजल व पेट्रोल की दरों में वृद्धि होने पर निविदादाता द्वारा दरों में परिवर्तन नहीं किया जावेगा।
  24. वाहन चलाते समय किसी प्रकार की दुर्घटना/क्षति होने पर समस्त जिम्मेदारी वाहन स्वामी/वाहन चालक की होगी।
  25. वाहन चालक संविदा अवधि में वाहन को किसी अन्यत्र कार्य में प्रयुक्त नहीं कर सकेगा।
  26. ड्यूटी समय के बाद वाहन की सुरक्षा की जिम्मेदारी निविदा दाता/वाहन स्वामी/वाहन चालक की स्वयं की होगी।
  27. वाहन चालक का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं दृष्टिदोष नहीं होने का प्रमाण पत्र समक्ष चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्राप्त कर प्रेषित करना होगा।
  28. अनुबंधित फर्म/व्यक्ति/ वाहन मालिक वाहन में जी.पी.एस. की सुविधा लगायेंगे और उसका Login-id तत्काल इस कार्यालय में Password के साथ उपलब्ध कराये जायेंगे
  29. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 में उपबंधित के अनुसार व्यक्ति स्वामी/ठेकेदार/फर्म से वाहन को किराये पर लेने पर वार्षिक व्यय की राशि का 5 प्रतिशत कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Perfomace Security) जमा करानी होगी।

  
6-5-2024

"Help The Needy - Timely Help May Create History"



# कार्यालय : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोटा

Contact/Fax: 0744-2940015 E-mail: dlsa26kota@gmail.com

## किराये से वाहन आपूर्ति प्रस्ताव पत्र

1. कार्य का नाम – महिन्द्रा बोलेरो वाहन किराये पर लिये जाने हेतु।
2. वाहन अनुबंध की अवधि – वर्ष 2021-2022 (कार्यालय आदेश से मार्च 2022)
3. प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम, पता टैलीफोन नम्बर/मोबाईल नम्बर-
4. किराये की सेवा अवधि का अनुमानित मूल्य 3,45,000/-रूपये है।
5. फर्म द्वारा टेक्सी संबंधी प्रमाण पत्र/रोड टेक्स/पंजीयन प्रमाण पत्र/दस्तावेज संलग्न कर प्रस्तुत किए जा रहे हैं।
6. वाहन अनुबंध की दरे निम्नानुसार हैं:-

क्रम संख्या	वाहन का प्रकार मय मॉडल	किलोमीटर प्रतिमाह	दर प्रतिमाह/प्रति कि०मी०	वाहन का पंजीयन संख्या (टैक्सी श्रेणी में पंजीकृत)
1.		प्रथम 1500 Km या कम के लिए	.....प्रतिमाह	
2.		1500 के बाद आगामी 2000 Km तक परिचालन हेतु	.....प्रति कि०मी०	

10. उपर उद्धृत की गई दरें कार्यादेश दिनांक से मार्च 2022 तक के लिए विधि मान्य है। इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर नियमानुसार बढ़ाया जा सकता है।
11. मालिकाना हक का घोषणा पत्र संलग्न किया जा रहा है।
12. अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा समस्त शर्तों का पूर्णतया अवलोकन कर लिया है मैं निविदा के साथ संलग्न शर्तें 01 से लगायत 28 तक के लिए पूर्णतया सहमत हूं और इन्हें मानने के लिए बाध्य रहूंगा।

संलग्न-निविदा की शर्तों

निविदादाता के हस्ताक्षर